

1 राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, म.प्र., भोपाल – 462003

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित हैंडबुक मॉडल पर आधारित

मैनुअल्स –17

अध्याय–18

पृष्ठ–59

जून 2021 की स्थिति में

**अध्याय 1**  
**प्रस्तावना**

**1.1- हैण्डबुक की पृष्ठभूमि**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल की जानकारी।

**1.2- हैण्डबुक का उद्देश्य**

हैण्डबुक में बिंदु क्रमांक 1.1 में वर्णित 17 मैनुअल की जानकारी दी गई है।

**1.3- हैण्डबुक की उपयोगिता**

राजभवन के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है।

**1.4- हैण्डबुक का प्रारूप**

इस हैण्डबुक में 18 अध्याय हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित जानकारी शामिल है।

**1.5- परिभाषाएं**

सूचना का अधिकार अधिनियम 5 की धारा 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुरूप है।

**1.6- संपर्क व्यक्ति**

हैण्डबुक में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

1.7 हैण्डबुक में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए भी राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

**अध्याय -2 (मैनुअल-1)**  
**संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य**

**2.1- लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

**2.2- लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन**

बिंदु क्रमांक 2.1 के अनुसार

**2.3- लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग**

1 नवंबर 1956 को नव गठित मध्यप्रदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का गठन हुआ है।

**2.4- लोक प्राधिकरण के कर्तव्य**

1. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत माननीय राज्यपाल को सौंपे गये विभिन्न कर्तव्य

2.1 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति – 1. अवधेश प्रताप सिंह वि.वि.रीवा 2. बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल 3. देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर 4. जीवाजी वि.वि. ग्वालियर 5. रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर 6. विक्रम वि. वि. उज्जैन 7. जवाहरलाल कृषि वि.वि. जबलपुर 8. म. प्र. भोज (मुक्त) वि.वि. भोपाल 9. चित्रकूट ग्रामोदय वि.वि. चित्रकूट 10. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल 11. महर्षि पाणिनी, संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं 12. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, 13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, 14. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, 15. मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 16. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 17. डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, 18. सांची बौध्द-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची जिला रायसेन, 19 राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 20. पंडित एस.एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय शहडोल, 21. छिंदवाड़ा वि.वि.

2.2 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष (विजिटर) :-

प्रदेश में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)

अधिनियम, 2007 अंतर्गत स्थापित होने वाले समस्त निजी विश्वविद्यालय

3. निम्नांकित संस्थाओं/समितियों के पदेन अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कर्तव्य/शक्तियां

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. अमलगमेटेड एक्स सर्विसमेन बेनीवोलेंट फंड   | - चेयरमेन    |
| 2. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, एम.पी.ब्रांच     | - प्रेसीडेंट |
| 3. म.प्र. बाल कल्याण परिषद                   | - प्रेसीडेंट |
| 4. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन (एफ्को) | - प्रेसीडेंट |

- |     |  |                        |
|-----|--|------------------------|
| 5.  | मध्यप्रदेश टी.बी. एसोसियेशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट         | – संरक्षक              |
| 6.  | मध्यप्रदेश भारत स्काउट एवं गाईड                            | – संरक्षक              |
| 7.  | मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति                        | – एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी |
| 8.  | मध्यप्रदेश तुलसी मानस प्रतिष्ठान                           | – मुख्यसंरक्षक         |
| 9.  | Madhya Pradesh Welfare Association<br>for the Blind Indore | – मुख्यसंरक्षक         |
| 10. | The Blind Association Bhopal                               | – मुख्यसंरक्षक         |



- 2.5– लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य – बिंदु क्रमांक 2.4 के अनुसार
- 2.6– लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण – निरंक
- 2.7– लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों का संगठनात्मक ढांचा संलग्न परिशिष्ट “अ” पर
- 2.8– लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं– निरंक
- 2.9– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था – निरंक
- 2.10– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था
- माननीय राज्यपाल महोदय को प्राप्त शिकायतें निराकरण हेतु राज्य शासन को भेजी जाती हैं।
- 2.11– मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते ( पतों का जनपदवार वर्गीकरण )

राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल।

पिन कोड 462003

- 2.12– कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10.00 बजे  
कार्यालय के बंद होने का समय : सायंकाल 06.00 बजे